झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/14/18–51 ,राँची/दिनांकः 11/09/2018

नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (Nursing Entrance Competitive Examination) - 2018 के द्वितीय साक्षात्कार (Second Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा – 2018 के परीक्षाफल के आधार पर दिनांक 30.08.2018 एवं दिनांक 31.08.2018 को आयोजित प्रथम् साक्षात्कार में अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोपरांत, रिक्त सीटों पर नर्सिंग (जी0एन0एम0/ए0एन0एम0) पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु अनुशंसा भेजने के निमित्त दिनांक 15.09.2018 को द्वितीय साक्षात्कार लिया जाना निर्धारित है।

2. संस्थानवार/शाखावार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix" Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें। इस साक्षात्कार में वैसे सभी अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो या तो प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित हैं या नामांकन हेतु अनुशंसा के उपरांत संस्थानों में नामांकन नहीं करा सके हैं या प्रथम् साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो सके हैं या फिर उपस्थित होकर सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का चयन नहीं किये हैं।

3. प्रथम् साक्षात्कार के आधार पर संस्थानों में नामांकित अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट के पुनार्आवंटन हेतु नामांकन शुल्क (Admission fee) के रसीद की मूल प्रति, साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का आवंटन नहीं किया जायेगा। वैसे नामांकित अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जाति प्रमाण–पत्र की छाया–प्रति प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

4. साक्षात्कार हेतु कंडिका–10 के अनुसार बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/दस्तावेज मूल रूप (Original) में तथा उनकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी और ना ही इस आधार पर सीट/संस्थान का आवंटन किया जायेगा। (क) मैट्रिक का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र, (ख) इन्टरमीडिएट/10+2/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र या भारतीय नर्सिंग परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10+2 व्यावसायिक ANM पाठ्यक्रम में परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र या राज्य परिचारिका निबंधन परिषद् से ए॰एन॰एम॰ के रूप में निबंधित होने का प्रमाण–पत्र (ग) नर्सिंग प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा–2018 का प्रवेश–पत्र (Admit Card) (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-

Divisional Officer (Civil)}/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, **(ड.)** झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)}/उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)। **(च)** दिव्यांग अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के संकल्प–2249 दिनांक 03.04.2018 के विहित प्रपत्र में चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी एवं चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होंगे। पुराने एवं अन्य प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे एवं **(ज)** पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने हेतु) सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत नहीं है या वे अपने प्रमाण–पत्र नहीं बनवा सके हैं, लेकिन प्रमाण–पत्रों को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी सीट/पाठ्यक्रम/संस्थान का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।},

5. **साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।**

6. साक्षात्कार शुल्क :– अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 250/– का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:–

क) साक्षात्कार शुल्क की राशि P.O.S. Machine पर Swipe कर पर्षद कार्यालय में जमा किया जा सकता है जिसके लिये अभ्यर्थी को अपने पास **ATM/Debit Card** साथ में रखना अनिवार्य है।

या

ख) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाईट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं0 एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

7. **आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।**

8. **साक्षात्कार स्थल** :– झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम–तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

9. दिनांक 15.09.2018 को, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार आयोजित साक्षात्कार के दौरान आरक्षित कोटि यथा SC/ST/BC-I/BC-II के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार

निर्धारित साक्षात्कार के समय अनारक्षित कोटि के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि के लिए आरक्षित सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के समय ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्र अवश्य प्रस्तुत करें।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। **किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :–

1.1 PH (दिव्यांग मेधाक्रमानुसार)				
Sl. No.	Category/ Quota	Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	
1.	PH Rank [Priority Code – A]	01	03	15.09.2018/ 10:00 AM
2.	PH Rank [Priority Code – B]	01	03	15.09.2018/ 10:00 AM
3.	PH Rank [Priority Code – C]	01	17	15.09.2018/ 10:00 AM
4.	PH Rank [Priority Code –D]	01	02	15.09.2018/ 10:00 AM
5.	PH Rank [Priority Code – E]	01	04	15.09.2018/ 10:00 AM

CML Rank & Category Rank-Wise (संयुक्त मेधाक्रमानुसार एवं कैटेगरी मेधाक्रमानुसार)								
Sl. No.	Category	CML Rank Range		CAT Rank Range		PH Rank Range		Counselling Date & Time
		From	To	From	To	From	To	
1.	Unreserved	1	630	-	-	-	-	15.09.2018/ 10:00 AM
2.	SC CAT Rank	-	-	28	157	-	-	15.09.2018/ 10:00 AM
3.	ST CAT Rank	-	-	208	453	-	-	15.09.2018/ 10:00 AM
4.	BC – I CAT Rank	-	-	226	293	-	-	15.09.2018/ 10:00 AM
5.	BC – II CAT Rank	-	-	95	155	-	-	15.09.2018/ 10:00 AM

नोटः– संयुक्त मेधाक्रम 1 से 630 तक में अनुसूचित जाति कोटि के 27, अनुसूचित जन जाति के 207, पिछड़ा वर्ग –I के 225 तथा पिछड़ा वर्ग –II के 94 अभ्यर्थी शामिल हैं अतः उन्हें अलग से कैटेगरी के साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया है। वे दिनांक 15.09.2018 को सामान्य कोटि के सीटों के साथ–साथ अपने आरक्षित कोटि का सीटों का चयन कर सकते हैं।

11. दिव्यांग कोटि के साक्षात्कारोपरान्त यदि दिव्यांगों के लिये आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती है तो रिक्त सीट/सीटों को संबंधित कोटि में समायोजित कर संयुक्त मेधाक्रमानुसार साक्षात्कार किया जायेगा।

12. सीट आवंटन के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों तथा पहचान की छान–बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण–पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कर्रवाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की संयुक्त मेधाक्रमानुसार/कोटि/कोटा मेधाक्रमानुसार, उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम एवं संस्थान का पुनर्आवंटन/आवंटन, मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर, किया जायेगा। **साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।**

14. यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती हैं अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

15. साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण–पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान सभी वांछित प्रमाण–पत्रों के साथ विलम्ब से उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

16. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

17. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

18. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम इस विज्ञापन की कंडिका 10 में अंकित हैं, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते है कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हों अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जायेगा तथा उपरोक्त कण्डिका 15 के अनुसार ही सीट चयन का अवसर दिया जायेगा। इसके लिये पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।

19. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में **परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्षद के वेबसाईट http://jceceb.jharkhand.gov.in और दूरभाष सं॰ 9264473893/9264473891 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

11/9/18

(सुरेन्द्र कुमार, भा॰प्र॰से॰)
परीक्षा नियंत्रक